न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 36 / 2022

मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता ———वादी
2. श्री नवीन जैन, अधिवक्ता ——प्रतिवादी सं. 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15/02/2022

वादी वकील के माध्यम से वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र में अंकित किया गया है। वाद पत्र की दफ़ा 3 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 46 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता सं. 127 / 106 के प. नं. 60 / 323 (55) की 1.265 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में से 1 / 2 हिस्सा व चक 22 एस.टी.जी. के खाता सं. 98 / 84 के प. नं. 56 / 314 (74), 56 / 315 (75), 57 / 314 (73), 57 / 315 (76) की कुल 4.174 हैक्टेयर नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में 1 / 2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की सत्यप्रति पेश की गई है। यह कि वाद पत्र की दफ़ा 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को वादी के दादा ख्यालीराम से प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं.1 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिससे प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ दिया है वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है। घरू बंटवारा में वाद पत्र की दफा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि वादी अकेले को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 1 के जीवनयापन के लिये उसके पास अन्य चको में कृषि दर्ज रिकार्ड है वादी को घरू बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी को घरू बंटवारे में प्राप्त भूमि राजस्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

15/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी के हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादी अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 20.1.2022 को वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीर शुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीरें पेश करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अव[illegible]या कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। [illegible] होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन कि[illegible] गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested

15/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पीलीबंगा के चक 46 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता सं. 127/106 के प. नं. 60/323 (55) की 1.265 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी से 1/2 हिस्सा व चक 22 एस.टी.जी. के खाता सं. 98/84 के प. नं. 56/314 (74), 56/315 (75), 57/314 (73), 57/315 (76) की कुल 4.174 हैक्टेयर नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

15/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested